

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) रायसेन**

E-Mail- [deoraisenle@gmail.com](mailto:deoraisenle@gmail.com)

क्रमांक/ 192 / स्था.निर्वा./2020

रायसेन, दिनांक- 09.12.2020

“ निविदा सूचना ”

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय/त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020-21 कार्य में उपयोग की जाने वाली रबर की सीलें (मोहरें) तैयार करवाई जाने हेतु दिनांक 28-12-2020 समय 02.00 बजे तक निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

निविदाकर को धरोहर राशि रुपये 5,000/- (अंकन- पाँच हजार रुपये मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था० निर्वा०) रायसेन के नाम से जो स्थानीय बैंक की शाखा पर भुगतान योग्य हो, जमा करना होगा।

निविदा फार्म दिनांक-28-12-2020 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था० निर्वा०) रायसेन से रुपये 100/- (अंकन -एक सौ रुपये मात्र) का चालान मदं (0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 002-निर्वाचन, 800 अन्य प्राप्तियों) में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गये निविदा फार्म पर ही निविदा मान्य की जावेगी।

निविदा शर्त, सामग्री की सूची एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है, तथा जिला कलेक्टर रायसेन की बेबसाइट <https://raisen.nic.in> पर अवलोकन की जा सकती है। प्राप्त निविदाएँ, उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक-28-12-20 को अपरान्ह 04.00 बजे खोली जावेगी।

08/12/20  
कलेक्टर एवं

जिला निर्वाचन अधिकारी  
(स्था.निर्वा.) रायसेन

पृष्ठ क्रमांक / / स्था.निर्वा./2020

रायसेन, दिनांक-

प्रतिलिपि :-


1. सचिव, म०प्र० राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल ।
2. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अपर संचालक, विज्ञापन जनसंपर्क संचालनालय जनसंपर्क भवन बाणगंगा रोड म०प्र०, भोपाल की ओर भेजते हुए लेख है कि कृपया विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी रायसेन की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निविदा कलेक्टर रायसेन की बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. जिला कोषालय अधिकारी रायसेन।
6. सहायक संचालक जन संपर्क रायसेन की ओर उक्त निविदा की सूचना भेजकर लेख है कि आप जन संपर्क संचालनालय बाणगंगा, भोपाल से संपर्क कर कम से कम दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में अविलंब प्रकाशन कराने एवं प्रकाशित समाचार पत्र की प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. अनुविभागीय अधिकारी - रायसेन/गैरतगंज/बेगमगंज/सिलवानी/बरेली/गौहरगंज की ओर सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जाने हेतु
8. तहसीलदार-रायसेन/गैरतगंज/बेगमगंज/सिलवानी/उदयपुरा/बरेली/बाड़ी/सुलतानपुर/गौहरगंज की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं प्रचार-प्रसार करने हेतु।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी.....(समस्त) जिला रायसेन की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं प्रचार-प्रसार करने हेतु।
10. कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

08/12/20  
कलेक्टर एवं

जिला निर्वाचन अधिकारी  
(स्था.निर्वा.) रायसेन

## ::निविदा की शर्तें::

1. निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था० निर्वा०) रायसेन को संबोधित हो।
2. निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 5,000/- (अंकन- पाँच हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था० निर्वा०) रायसेन के नाम से देय हो, जो निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा। नगद राशि जमा नहीं की जावेगी।
3. निविदाकार को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे पृथक-पृथक प्रस्तुत करने होंगे। तकनीकी जानकारी में सफल निविदाकार के ही वित्तीय निविदा के लिफाफे खोले जावेंगे।
4. निविदाकार को निविदा स्वीकृत की सूचना कार्यालय द्वारा दी जावेगी एवं अस्वीकृत निविदा की सूचना नहीं दी जावेगी।
5. निविदा फार्म दिनांक-28-12-2020 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था० निर्वा०) रायसेन से रूपये 100/- (अंकन -एक सौ रूपये मात्र) का चालान मद (0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 002-निर्वाचन,800 अन्य प्राप्ति) में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गये निविदा फार्म पर ही निविदा मान्य की जावेगी।
6. निविदा स्वीकृत होने उपरांत सामग्री प्रदाय करने का आदेश मिलने पर समस्त सामग्रियाँ नियत स्थल एवं नियत समय पर स्वयं के व्यय पर पहुँचाना होगा। सामग्री दुलाई एवं व्यवस्था पर होने वाला व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
7. निविदा में प्रत्येक रबर सीले (मोहरें) की दर, एवं साईज अंकित करना होगा।
8. यदि निविदाकार रबर सीले (मोहरें) समय पर प्रदाय नहीं कर सका तो रबर सीले (मोहरें) बाजार से बनवायी जावेगी, इसमें स्वीकृत दरो से अधिक भुगतान एवं सामग्री लाने ले जाने पर हुए व्यय की राशि सफल निविदाकार से उसकी अमानत राशि में से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूल की जावेगी।
9. निविदाकार प्रदाय की गई रबर सीले (मोहरें) की सुरक्षा एवं रबर सीले (मोहरें) की क्षतिपूर्ति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. निविदाकार को अपनी फर्म के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
11. शासन द्वारा निर्धारित आयकर एवं सर्विस टैक्स का कटौत किया जावेगा। निविदाकार को निविदा के साथ पेन नंबर, सर्विस टैक्स नंबर एवं जी०एस०टी नंबर की फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगी।
12. किसी भी निविदा को बिना कारण निरस्त अथवा अमान्य करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था० निर्वा०) रायसेन का होगा।

  
08/12/20  
कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी  
(स्था.निर्वा.) रायसेन